



2026:AHC:125130

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 17281 सन् 2026

संदेश चंद्र खरड़ उर्फ संदेश चंद्र गुप्ता एवं एक अन्य
बनाम

....आवेदक(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार त्रिपाठी, विजया नंद मौर्य
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री विश्व दीपक मिश्रा को सुना।
2. प्रस्तुत आवेदन आवेदकगण के विरुद्ध पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23.05.2023 एवं 10.01.2025 तथा आपराधिक वाद संख्या 13225/2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुदेश चंद्र खरड़ उर्फ संदेश चंद्र गुप्ता एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0459/2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 के अंतर्गत, थाना - प्रेम, जनपद - झाँसी से उद्भूत है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद - झाँसी के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 406 एक साथ नहीं चल सकतीं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रिस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, जो 2024 10 एससीसी 690 में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंकित है, के मामले में विधि की स्थापित प्रस्थापना के अनुसार है। उक्त निर्णय का सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, परिवाद के सामान्य वाचन से उपर्युक्त वर्णित तत्वों में से कोई भी स्पष्ट नहीं होता। हम केवल इतना कहना चाहेंगे, विधि की उस गंभीर भांति को दूर करने की दृष्टि से जो पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में व्याप्त है, कि यदि परिवादी का यह मामला है कि धारा 405 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित तथा धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित एवं व्याख्यायित तथा धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय छल का अपराध भी कारित किया है।

41. मात्र संविदा भंग तथा आपराधिक न्यासभंग एवं छल के अपराध के मध्य भेद सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के आशय पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका आकलन पश्चातवर्ती आचरण से किया जा सकता है, किंतु पश्चातवर्ती आचरण इसकी एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र संविदा भंग से छल के लिए दांडिक अभियोजन नहीं चल सकता जब तक कि संव्यवहार के प्रारंभ से ही, अर्थात् जिस समय अपराध कारित होना कहा जाता है, कपटपूर्ण या बेईमानी का आशय प्रदर्शित न हो। अतः यही आशय अपराध का सार है। 43. आपराधिक न्यासभंग एवं छल के मध्य भेद है। छल के लिए, मिथ्या या भ्रामक प्रस्तुतीकरण करने के समय अर्थात् प्रारंभ से ही आपराधिक आशय आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में, मात्र न्यास का प्रमाण ही पर्याप्त है। अतः आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अपराधी को विधिपूर्वक संपत्ति सौंपी जाती है, और वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को छलपूर्वक प्रलोभित कर संपत्ति परिदत्त करवाता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को छल एवं आपराधिक न्यासभंग के अपराध के मध्य सूक्ष्म भेद को समझने हेतु विधि का समुचित प्रशिक्षण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जाए। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं भिन्न हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के समूह में एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे परस्पर विरोधाभासी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।"

4. चूँकि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क विधिक विषय पर आधारित हैं, अतः विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि की स्थापित प्रस्थापना का खंडन करने में असमर्थ रहे।

26. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, वाद के अभिलेख का अवलोकन करने तथा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय के आलोक में, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएँ अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 406 एक साथ नहीं चल सकतीं, और तदनुसार आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक वाद संख्या 13225/2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुदेश चंद्र खरड़ उर्फ संदेश चंद्र गुप्ता एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 0459/2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 के अंतर्गत, थाना - प्रेम, जनपद - झाँसी से उद्भूत है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद - झाँसी के न्यायालय में लंबित है, में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23.05.2023 एवं 10.01.2025 अभिखंडित किए जाते हैं। वाद को संबंधित विद्वान न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि की प्रस्थापना के आलोक में, यदि आवश्यक हो, अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करें।

7. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन भागतः स्वीकार किया जाता है।

जून 3, 2026

एस.के.एस.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।